सं0-16 रा0भा0/21-1-2003
सा0-8/2003

प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5-समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।

भाषा अनुभाग-1 ([illegible]) लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2003

विषय:- भारत सरकार से हिन्दी में पत्र-व्यवहार ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है तथा 26 जनवरी, 1968 से राज्य के समस्त सरकारी प्रयोजनों के सम्बंध में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का प्रयोग अपेक्षित है ।

2- उक्त क्रम में प्रारम्भ से ही प्रदेश सरकार की यही नीति रही है कि भारत सरकार से पत्र-व्यवहार अनिवार्यतः हिंदी में किया जाये और यदि कहीं भाषा के कारण भारत सरकार में किसी पत्र पर तुरन्त कार्यवाही न होने की आशंका हो तो मूल पत्र हिंदी में ही जाये, पर साथ ही उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में समय-समय पर अधोंकित शासनादेशों के माध्यम से उक्त आदेशों के अनुपालन पर बल दिया जाता रहा है । किंतु संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछ कार्यालयों द्वारा केंद्र सरकार को हिन्दी में पत्र नहीं भेजे जाते है । उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है ।

1-शा0सं0-165/क-कोष-4(3)-73,
दिनांक 3 अप्रैल, 1973
2-शा0सं0-4440/क-कोष-3(40)-76,
दिनांक 26 जनवरी, 1977
3-शा0सं0-4252/क-कोष-3(51)-76,
दिनांक 31 जनवरी, 1977
4-शा0सं0-525/अ-कोष-82-3(1)-1982,
दिनांक 16 फरवरी, 1982
5-शा0सं0-1986/अ-कोष-82-3(9)-82,
दिनांक 4 जून, 1982
6-शा0सं0-5498/क-कोष-1-95-1(1)/94,
दिनांक 30 अक्टूबर, 1995
7-शा0सं0-912/अ-कोष-1-98-1(1)/94,
दिनांक 29 जनवरी, 1999

3- अतः शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की पूर्व घोषित भाषानीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उक्त शासनादेशों

---2/-

के क्रियान्वयन कड़ाई से कराया जाये तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा ऐसे कार्यालय हिन्दीतर क्षेत्रों में स्थित हैं, से पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किया जाये । केवल अपरिहार्य कारणों से पत्र अंग्रेजी भाषा में भेजना आवश्यक समझा जाये, वहाँ भी मूल पत्र हिंदी में ही भेजा जाये तथा उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में संलग्न किया जाये ।

4- कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत कराने तथा केंद्र सरकार से अनिवार्यतः हिंदी में पत्राचार करने से सम्बंधित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डा० अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-16 सा०वन०(1)/21-1-2003-सा0-8/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी ।
3- समस्त मंत्रीगणों के निजी सचिव ।
4- निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ ।
5- सचिव, विधानसभा/विधानपरिषद् ।
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(सुरेन्द्र विक्रम अस्थाना)
उप सचिव

संख्या-16 सा०वन०(2)/21-1-2003-सा0-8/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिकारी ।
उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र विक्रम अस्थाना)
उप सचिव